292
T.8.8.18

संख्याः 334/X-4-17/02(04)/2017

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फॉरेस्ट कालोनी,
इन्दिरा नगर, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांकः 15 ~~अगस्त~~ जनवरी, 2018

विषयः जनपद पिथौरागढ में 2X3.25 मेगावाट क्षमता की बुर्थिग लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 2.56 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ईस्टर्न रामगंगा वैली हाईड्रों प्रोजेक्ट कम्पनी, प्रा0लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 60/1जी–2926(पिथौ0), दिनांक 10.07.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश संख्या 8बी/यू0 सी0पी0/01/36/2013/एफ0सी0/472, दिनांक 23.06.2017 द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति के आधार पर जनपद पिथौरागढ में 2X3.25 मेगावाट क्षमता की बुर्थिग लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 2.56 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ईस्टर्न रामगंगा वैली हाईड्रों प्रोजेक्ट कम्पनी, प्रा0लि0 को 30 वर्षो की लीज पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान करते है–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 5.12 है0 केठी सिविल वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(I) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 07 से 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
3. वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन की गयी उक्त भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा यथोचित प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण विधिवत स्वीकृति निर्गत दिनांक से दो वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रश्नगत् वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित करवाकर वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) व उसके 10 प्रतिशत धनराशि के बराबर वार्षिक लीज रेंट भुगतान किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
6. प्रयोक्ता विभाग वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर0सी0सी0 पिलर्स लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर फारवर्ड तथा बैक बियरिंग भी अंकित किया जाएगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
8. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
9. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
10. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, लीज पर दिये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत् मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से परियोजना निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
18. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं प्रस्तावानुसार आवश्यक न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
19. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा देय एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
20. मा0 उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
21. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय(कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्या 198/7–जी–सी–89–3–89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501 –सेवायें और सेवा फीस–01–की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त ही शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
22. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा।
23. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश संख्या 8बी/यू0सी0पी0/01/36/2013/एफ0सी0/472, दिनांक 23.06.2017 में अधिरोपित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
24. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
25. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा संतोषजनक अनुपालन नही होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अपने माध्यम से उक्त शर्तो का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा।

2– कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्याः 334 (1)/X-4-17/02(4)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
6. महाप्रबंधक, ईस्टर्न रामगंगा वैली हाईड्रों प्रोजेक्ट कम्पनी, प्रा0लि0, क्वीटी, जनपद पिथौरागढ़।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0 के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।